

23.04.25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का क्वलोकन करने पर शर्ही का जवाब स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरीक तक्मील होकर शामिल रहकर है।

निर्णय लिखा जाकर बुले न्यायालय में सुनाया गया।

*RAS*  
23.04.25  
(किरण पाल)  
RAS